बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मोहनदास करमचन्द गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह (व्यापक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव सम्पूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी मैदान में महात्मा गांधी जी की एक बड़ी एवं भव्य मूर्ति उत्तर पश्चिम कोने पर लगाई गई है। अभी भी पूर्व से लगी गांधी जी की छोटी मूर्ति (प्रतिमा) विराजमान है। जिस प्रकार डा. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा को लोहियानगर जे.पी. गोलंबर से स्थानांतरित कर कंकड़बाग पार्क में लगाया गया है उसी प्रकार गांधी नगर (कंकड़बाग) में अवस्थित बड़े पार्क में महात्मा गांधी जी की छोटी मूर्ति (प्रतिमा) लगने से उस पार्क की महत्ता बढ़ जाती।

अत: पटना के गांधी मैदान पूर्वी में सुशोभित महात्मा गांधी जी की छोटी मूर्ति (प्रतिमा) के गांधी नगर (कंकड़बाग) पार्क में स्थापित करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सी.पी.सिन्हा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 206/2017– 1833 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19-8-17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित द्वि-स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अमीनों की स्थायी नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 820 सफल अभ्यर्थियों की सूची के साथ अनुशंसा कर दी गई है। परन्तु आज तक इन चयनित अमीनों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। 'अमानत' अनौपचारिक स्वरूप का गैर-तकनीकि लघु पाठयक्रम है जिसके लिए किसी औपचारिक मान्यता की आवश्यकता नहीं है। अमीनों की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में 50 अंकों की अमानत संबंधी परीक्षा ली गई, जिसमें अलग से उत्तीर्णता अंक निर्धारित था, फिर भी विभाग द्वारा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अमानत प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों के संबंध में आपत्ति कर अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, जिससे योग्य अमीनों को आर्थिक रूप से काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं सदन में उक्त मामले में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र मिल सके।

ह./- रणवीर नन्दन,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 204/2017– 1832 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार प्रखंड के साकिन- मखदुमपुर, सिरनिया, थाना- मुफस्सिल के निवासी मो. नसीर पिता- स्व. रहमान मियां की 72 (बहत्तर) डि. जमीन जिसका खाता सं.- 435, खेसरा नं.- 3387, थाना नं.- 118 है को श्री श्याम लाल हेम्ब्रम ने अंचलाधिकारी की मिली भगत से पांच व्यक्तियों के नाम केवाला कर दिया तथा लगान रसीद भी कटवा ली। मो. नसीर द्वारा इसके विरोध में समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में नामांतरण वाद सं.- 601/2009 दायर किया गया। समाहर्ता न्यायालय कटिहार द्वारा दिनांक- 03.09.2014 को मो. नसीर के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं उसके नाम से लगान रसीद निर्गत किया गया। इसी बीच पांचों क्रेताओं ने श्याम लाल हेम्ब्रम से मिलकर जमीन के कुछ भाग पर घर बना लिया। मो. नसीर द्वारा कब्जा दिलाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार को दिए गए आवेदन के आलोक में मुफस्सिल थाना अंचलाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक- 26.11.2016 को जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है एवं वादी को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है।

अत: मो. नसीर को जमीन पर कब्जा दिलाने एवं षडयंत्र में शामिल सभी दोषी पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- गुलाम रसूल,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 202/2017– 1831 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

देश के महान अर्थशास्त्री, कुशल कुटनीतिज्ञ, महान दार्शनिक चाणक्य जिन्होंने भारतवर्ष को पहला सम्राट दिया जिनका कर्मभूमि बिहार की धरती पाटलिपुत्र था। पटना सिटी चाणक्य गुफा में इनके जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजरा। गंगा के किनारे इसी गुफा में बैठकर नीति का उल्लेख किया जो आगे चलकर चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साक्ष्य के मुताबिक वहां चाणक्य की काले रंग की मूर्ति हुआ करती थी। इस गुफा में कई बेशकीमती मूर्तियां थीं जो गायब हैं। ऐतिहासिक धरोहर चाणक्य गुफा आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। बिहार सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिसका परिणाम है कि बिहार में प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाणक्य गुफा का जीर्णोद्धार करने एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर पर्यटन का एक केन्द्र बन सकता है और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी।

अत: पटना सिटी स्थित चाणक्य गुफा को संरक्षित करने एवं उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्त्व की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 209/2017– 1830 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर के राजवंशीनगर एवं पुनाईचक मुहल्ला के पानी की निकासी की व्यवस्था एक ही नाला पुनाईचक नाला से हो रही है जिसकी निकासी सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय के समीप से होती है। इस बड़े क्षेत्र के पानी की निकासी हेतु एक ही संप हाउस है जो पुनाईचक में अवस्थित है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि संप हाउस से निकासी किया गया पानी पुनाईचक सरकारी क्वाटर्स में आकर जमा हो जाता है। इससे अलग, पुनाईचक सरकारी क्वार्टर्स के पानी की निकासी होती ही नहीं है क्योंकि नाला में स्वत: पानी का दबाव रहता है। इस कारण स्थिति यह है कि रोड नं.-4 के लगभग सारे सरकारी आवास पानी में डूबे रहते हैं। स्थिति अत्यंत नारकीय हो जाती है और लोगों का जीना दूभर हो जाता है। यह स्थिति करीब-करीब तीन से चार महीनों तक रहता है। अधिकारियों से बार-बार आग्रह किया गया कि पुनाईचक नगर सरकारी आवास के पानी की निकासी हेतु एक अलग नाला की व्यवस्था की जाए, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अत: पुनाईचक एवं राजवंशीनगर स्थित सरकारी आवासों से पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था शीघ्र किए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप राय, स.वि.प. एवं
ह./- दिनेश प्रसाद सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 210/2017– 1829 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के पूर्वी चम्पारण जिला के गंडक नदी के तट पर मोतिहारी से 35 किलोमीटर दूर साहेबगंज चकिया मार्ग पर केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में केसरिया स्तूप का प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि महा परिनिर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते समय एक रात केसरिया में गुजारी थी और लिच्छवियों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान किया था।

पुरातत्वबेत्ताओं के अनुसार केसरिया बौद्ध स्तूप दुनिया में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, यह स्थान राजधानी पटना से 120 किलोमीटर और वैशाली से 30 किलोमीटर दूर है। यहां आज भी प्रतिवर्ष लाखों बौद्ध तीर्थयात्री विश्व भर से दर्शन के लिए आते हैं।

उल्लेखनीय है कि तेज धूप और बारिश के प्रकोप के कारण केसरिया बौद्ध स्तूप के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रही है। बौद्ध स्तूप को बचाने एवं स्थायी संरक्षण करने के लिए चारों तरफ से 'छायादार फाइवर' सीट का प्लेटफार्म बनाकर केसरिया बौद्ध स्तूप को तेज धूप और बारिश से बचाने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन को गैर कानूनी अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए तथा अगल-बगल की जमीन का अधिग्रहण कर के भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए।

अत: केसरिया बौद्ध स्तूप के दर्शन करने आने वाले देशी, विदेशी पर्यटकों, बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सुलभ शौचालय पीने के पानी की फिल्टर मशीन, खान-पान की व्यवस्था एवं पर्यटक गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बौद्ध स्तूप की जमीन से 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने उक्त स्थल को पर्यटन की दृष्टिकोण से विकसित करने तथा सभी बौद्ध पर्यटन स्थलों विशेष कर तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली- महाबोधि महाविहार, बोधगया, नालंदा, राजगीर, पाटलिपुत्र (पटना) वैशाली, केसरिया बौद्ध स्तूप आदि पर्यटक स्थलों की दर्शन के लिए वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने हेतु सरकार से सदन में एक ठोस वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- प्रो.(डॉ) वीरेन्द्र नारायण यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 205/2017– 1828 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी पटना के बाईपास के इलाका में जगनपुरा से सम्पतचक जानेवाली सड़क के दोनों तरफ बसे गांवों का शहरीकरण तेजी से हो रहा है। इस सड़क पर जगनपुरा के अतिरिक्त कनौजी, कछुआरा, भेलवारा, ब्रहमपुर, शाहपुर, पिपरा (मिर्जापुर) उदयनी गांव है जिससे होकर सड़क सम्पतचक तक जाती है। यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग से निर्मित किया गया है, जिसकी चौड़ाई बारह फीट है। यह सड़क बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए इस सड़क का चौड़ीकरण करना अति आवश्यक है। इस सड़क से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क चौड़ीकरण करके नालों का निर्माण करा दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि इसी से सटे बादशाही पइन है, जिसमें नाला का पानी आसानी से जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिपरा (मिर्जापुर) मौजा में रोड नं.-1 अयोध्या नगर पथ भी पड़ता है, जिसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। पथ की स्थिति जर्जर रहने के कारण बराबर दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा पानी के निकास के लिए नाला नहीं रहने के कारण पथ पर बराबर पानी का जमाव रहता है।

अत: मैं सरकार से पिपरा के देवनगर (मिर्जापुर) के रोड नं.-1 अयोध्यानगर पथ एवं जगनपुरा से सम्पतचक जाने वाली मुख्य सड़क तथा इसके समानान्तरण ब्रहमपुर गांव के सटे पूरब से तथा जगनपुरा के पश्चिम निर्मित नया अपार्टमेंट एवं नए बजरंगबली के मंदिर के बीच के सरकारी जमीन को सड़क के रूप में विकसित एवं उक्त क्षेत्र में नाला का निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय कुमार सिंह, स.वि.प.
ह./- संजीव कुमार सिंह, स.वि.प. एवं
ह./- केदारनाथ पाण्डेय, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 203/2017– 1827 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19.8.17

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य आवास बोर्ड, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत 1982 के अधिनियम के द्वारा गठित एक स्वायतशासी संस्था है। जिसके लिए नियमावली भी बनी हुई है और विभिन्न जिलों में इसकी अकूत संपत्ति है। लेकिन बोर्ड में अध्यक्ष का पद वर्षों से रिक्त है। पटना, छपरा, आरा, गया आदि जिलों में भू-संपदाओं का अतिक्रमण हो रहा है। आवास बोर्ड के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी समुचित कार्रवाई नहीं हो रही है। बोर्ड को करोड़ों की क्षति हो रही है। संपत्ति की रक्षा हेतु बोर्ड में जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, बोर्ड द्वारा उनका नियोजन भी नहीं किया जा रहा है। बोर्ड बार-बार संविदा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार भी होता है। बावजूद किसी को तीन महीने, किसी को एक साल का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ऐसी शर्तों के अधीन कर्मचारी सम्मानजनक तरीके से निश्चिंत होकर दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगे। उनमें बार-बार असंतोष की भावना उत्पन्न होती रहेगी। जब कि समूह 'ख' और 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अत: स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, अतिक्रमण हटाने, संविदा पर नियुक्त कर्मियों को वेतनमान में स्थायी रूप से नियुक्त करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय कुमार सिंह, स.वि.प. एवं

ह./- केदारनाथ पाण्डेय स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 226/2017– 1834 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।